

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमहापुर (सीकर)

पेश नाम

जन्म

तन्तु नम्बर

दावा नम्बर 53,188 आर टी एक्ट

मुकदमा नम्बर - 91 / 2023

दस्तावेज या कार्यवाही मय तथ्य हस्ताक्षर जज

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमहापुर (सीकर)

वादी की ओर से वकील श्री धर्मनन्द कुमार गुर्जर एडो ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कार्रकारी अधिनियम- 1965 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मान मय नकले साधारण तरीके से एव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 27.06.2023 को पेश हो।

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमहापुर (सीकर)

27/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्न उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-8-23 को पेश हो।

06/8/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्न उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10-11-23 को पेश हो।

(R)

10/11/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्न उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-2-24 को पेश हो।

(R)

2
20/24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्न उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-4-24 को पेश हो।



22-7-24

22-7-24

इकजाही लयीज पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपरो प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक अनु-2 कर बाण-2 कर-2 भागाज इलवामी जमी। वकील वादी में से कोई हाजिर

महापुर

श्रीमान् न्याय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाण)

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर प्राप्त

लोक संख्या

दिनांक

सं. - 51/2023

आदालत नही आगे है। अतः तारीख वादद्वारा ही अनुपालना में कामा वाद पत्रा वादत तडासा व इधरि मिसे घारा (अनुसूति धारा 53, 188 राज. धारा 311) डो आदम खेरी व आदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होना वाद तडमस्त दाखिल दखल है।

श्रीमान् न्याय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाण)